संख्या– 1077/43–2–2009

प्रेषक,

के0के0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2– समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।
3– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक: 17 जून, 2009

विषय: **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपीलीय अधिकारियों द्वारा अपीलों का निस्तारण।**

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचनाओं तक नागरिकों की पहुँच सुनिश्चित करने तथा लोक प्राधिकारियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने व सूचना के प्रवाह को व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से पूरे देश में प्रभावी है। अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी के जन सूचना अधिकारी का यह दायित्व है कि वह सूचना मांगने वाले व्यक्ति को विनिर्दिष्ट समय के भीतर सही और पूर्ण सूचना प्रदान करें। जन सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार सूचना उपलब्ध न कराने अथवा उसके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से आवेदनकर्ता के सन्तुष्ट न होने की दशा में अधिनियम में दो अपीलों का प्राविधान किया गया है। प्रथम अपील लोक प्राधिकारी द्वारा नामित वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष और दूसरी अपील राज्य सूचना आयोग के समक्ष होती है। प्रथम अपीलीय अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपीलों का निस्तारण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए करे।

2– प्रथम अपीलीय अधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु शासनादेश संख्या–भा0 स0 – 19/43–2–2008–15/2(7)/08, दिनांक 14 जुलाई, 2008 द्वारा मार्गदर्शिका जारी

....2/–

(41)

की गयी है। उक्त मार्गदर्शिका उत्तर प्रदेश शासन की वेबसाइट www.upgov.nic.in पर भी अपलोड की गयी है। शासन के संज्ञान में यह बात लायी गयी है कि प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमों/विधि से अपीलों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है।

3— अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने विभाग तथा अपने नियंत्रणाधीन समस्त लोक प्राधिकरणों में नामित प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे अधिनियम के प्राविधानों तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए अपने समक्ष दायर प्रथम अपीलों का निर्धारित समय-सीमा के अन्दर निस्तारण सुनिश्चित करें।

उक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(के0के0 सिन्हा)
प्रमुख सचिव।